

.....अपील संख्या 66/2003 कलावती वगैरा बनाम जंगीर सिंह वगैरा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को मुन्तकिल करने बाबत.....

AZ

किस्म मुकदमा:—मुन्तकिली मुकदमा

प्रकरण सं०:— 36 /2016

तारीख
हुकम

कार्यवाही विवरण

नम्बर व
तारीख



31.03.2016

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या एडीएम(ए)/वाचक/2016/497 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा निवेदन किया है कि उनके न्यायालय में लंबित अपील संख्या 66/2003 अनवानी कलावती वगैरा बनाम जंगीर सिंह वगैरा में प्रार्थीगण तारासिंह वगैरा ने दिनांक 08.12.2015 को प्रा० पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी है कि तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 14.10.2003 प्रकरण संख्या 4/1999 कलावती वगैरा बनाम फताराम आदि के विरुद्ध यह अपील पेश की है। पूर्व में तहसीलदार सादुलशहर के आदेश दिनांक 16.07.1996 को न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए दिनांक 01.10.1997 को प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना में दिनांक 20.04.2000 को विवादित रकबा का कब्जा प्रार्थीया कलावती आदि को देने का निर्णय पारित किया गया।

चूंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पूर्व में उक्त प्रकरण में तहसीलदार सादुलशहर की हैसियत से दिनांक 20.04.2000 को आदेश पारित किया था। इसलिए इस अपील को न्याय हित में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय को मुन्तकिल करना उचित होगा।

अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के न्यायालय में लंबित अपील संख्या 66/2003 कलावती वगैरा बनाम जंगीरसिंह वगैरा को न्याय हित में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर उनके न्यायालय में लंबित अपील संख्या 66/2003 कलावती वगैरा बनाम जंगीरसिंह वगैरा को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को शीघ्र भिजवावें। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर व अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पक्षकार दिनांक 18.04.2016 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)

689-30
6-4-16